नईदुनिया

पीएसएच के स्थायी समाधान को अंतिम रूप देने के पक्ष में भारत, कहा – 11 सालों से लंबित पड़े मुद्दे

अबू धाबी ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी को अबू धाबी में शुरू हुआ है। वार्ता सत्र के दौरान भारत ने सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग (पीएसएच) के स्थायी समाधान को अंतिम रूप देने और मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी) में स्थायी समाधान देने के लिए एक मजबूत तर्क दिया। बता दें, यह 11 सालों से लंबित है।

क्या है पीएसएच – गौरतलब है, सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग (पीएसएच) कार्यक्रम एक नीति उपकरण है, जिसके तहत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से चावल और गेहूं जैसी फसलें खरीदती है और गरीबों को खाद्यान्न का भंडारण और वितरण करती है। भारत ने पीएसएच पर 2013 के बाली मंत्रिस्तरीय निर्णय, 2014 के सामान्य परिषद के निर्णय और 2015 के नैरोबी मंत्रिस्तरीय निर्णय से तीन जनादेश को वापस बुलाया।

भारत का तर्क – भारत ने तर्क दिया कि ध्यान केवल निर्यातक देशों के व्यापार हितों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, वास्तविक चिंता खाद्य सुरक्षा और लोगों की आजीविका है। भारत ने जोर देकर यह भी कहा कि विश्व व्यापार संगठन में सबसे महत्वपूर्ण और लंबे समय से लंबित अनिवार्य मुद्दे पीएसएच पर स्थायी समाधान के बिना, विकासशील देशों की भूख के खिलाफ लड़ाई को जीता नहीं जा सकता है।

इस पर डाला प्रकाश – भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस मुद्दे का महत्व इतना अधिक था कि जी33 समूह के देशों, अफ्रीका, कैरिबियन और प्रशांत समूह और अफ्रीकी समूहों से दुनिया की 61 प्रतिशत से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 80 से अधिक देशों ने इस विषय पर एक प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया है। दरअसल, जी33 समूह में 47 विकासशील और अल्प विकसित देश शामिल हैं। एक संयुक्त बयान में, जी33 समूह ने यह भी कहा था कि प्रमुख आयात वृद्धि या अचानक मूल्य गिरावट के खिलाफ एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विशेष सुरक्षा तंत्र (एसएसएम) का उपयोग करना विकासशील देश का अधिकार है।

200 गुना अधिक सब्सिडी – भारत ने विश्व व्यापार संगठन को अधिसूचित किए गए अनुसार, विभिन्न देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली वास्तविक प्रति-किसान घरेलू सहायता में भारी अंतर को भी याद किया। बयान में कहा गया, कुछ विकसित देश विकासशील देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी से 200 गुना अधिक सब्सिडी प्रदान करते हैं।

न्यूज ब्रीफ

भाजपा नेता को राहत, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने वाली निचली अदालत के आदेश पर रोक

नई दिल्ली । मुंबई की एक सत्र अदालत ने टेनेट एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और भाजपा नेता मोहित कंबोज व अन्य को राहत दे दी है। उनके खिलाफ एक मामले में सीबीआई की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने के आदेश पर रोक लगा दी है। सत्र अदालत ने निर्देश दिया है कि कार्यवाही को वापस मजिस्ट्रेट अदालत में भेजा जाए और सीबीआई को सुनवाई का अवसर देकर इस मुद्दे पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया जाए। 23 अक्टूबर, 2023 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, आदेश में केंद्रीय एजेंसी को आगे की जांच करने का निर्देश दिया गया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने तब कहा था कि उसे प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री मिली है। मामले में नामजद आरोपियों ने इस आदेश के खिलाफ अपील के साथ सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नरीमन प्वाइंट के अधिकारियों द्वारा टेनेट एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों/गारंटरों और अन्य के खिलाफ बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप से जुड़ा है। शिकायत में कहा गया था कि कंपनी के सीएमडी कंबोज, कंपनी के निदेशक जितेंद्र कपूर, नरेश एम कपूर, सिद्धांत आर बागला, हितेश मिश्रा, रुद्राक्ष मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (कॉरपोरेट गारंटर), मेसर्स ललित और सुरेंद्र (चार्टर्ड अकाउंटेंट) और एक अज्ञात लोक सेवक ने जालसाजी की और बैंक की क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करके बैंक के साथ धोखाधड़ी की। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को आरोपियों के खातों में भेज दिया गया। कंबोज और कई अन्य पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 103 करोड़ रुपये की कथित गड़बड़ी का आरोप है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयवंत यादव ने 23 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला पूरी तरह से स्थापित होता है।

मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार सेंथिल बालाजी को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

चेन्नई । मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बीते साल जून में हुई थी गिरफ्तारी ईडी ने बीते साल जून में ईडी ने वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था। साल 2014 में एआईडीएमके सरकार में परिवहन मंत्री रहते हुए बालाजी पर मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में पैसे लेकर लोगों को नौकरी देने के आरोप लगे थे। साथ ही आरोप है कि बालाजी ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। बालाजी की गिरफ्तार पर जमकर हंगामा हुआ था और गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। बालाजी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी दिल की सर्जरी की गई। इसके बाद 17 जुलाई को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु की पुझल सेंट्रल जेल भेजा गया और तब से वे जेल में बंद हैं। गिरफ्तारी के बाद भी बालाजी ने डीएमके कैबिनेट से इस्तीफा नहीं दिया था।

26 गोल्ड बॉन्ड में मैच्योरिटी से पहले मिलेगा कमाई का मौका

नई दिल्ली । अगले वित्त वर्ष में 26 गोल्ड बॉन्ड में मैच्योरिटी से पहले कमाई का मौक मिल सकता है। जानकारी के अनुसार 2024-25 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के प्रीमैच्योर रिडेम्पशन को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया है। देश के केंद्रीय बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान निवेशकों को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कुल 26 अलग अलग सीरीज में प्रीमैच्योर रिडेम्पशन का मौका मिलेगा। बता दें कि आरबीआई की तरफ से 27 फरवरी को जारी जारी इस कैलेंडर में अलग अलग सीरीज के लिए उस निर्धारित समय सीमा का भी जिक्र है जिस दौरान बॉन्ड धारक प्रीमैच्योर रिडेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में सबसे पहले वित्त वर्ष 2016-17 के लिए जारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तीसरी सीरीज यानी छठे गोल्ड बॉन्ड में 17 मई 2024 को प्रीमैच्योर रिडेम्पशन का मौका मिलेगा। जिसके लिए बॉन्ड धारक 16 अप्रैल और 7 मई के बीच अप्लाई कर सकते हैं।

महादेव एप घोटाला केस में देशभर में 15 जगहों पर छापेमारी, बंगाल, मुंबई और दिल्ली-एनसीआर में रेड जारी

नई दिल्ली ।

प्रवर्तन निदेशालय महादेव एप की जांच के तहत देश भर में 15 से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल, मुंबई और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में छापेमारी की जा रही है। इस मामले में ईडी ने अब तक कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया है।

महादेव एप से जुड़ी कुछ बातें

ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक एप के जरिए कथित अवैध सट्टेबाजी और गेमिंग से जुड़े धनशोधन के एक मामले में रायपुर की एक विशेष अदालत के समक्ष नया आरोपपत्र दायर किया था। अधिकारियों ने बताया कि संघीय एजेंसी इस दूसरी अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) को दुबई में अधिकारियों के साथ साझा करेगी ताकि एप के दो मुख्य प्रमोटर्स रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर का प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया जा सके। ईडी के कहने पर दोनों को हाल ही में इंटरपोल की ओर से जारी रेड नोटिस के आधार पर दुबई में हिरासत में लिया गया था। समझा जाता है कि एजेंसी ने पहले आरोपपत्र की सामग्री यूएई के अधिकारियों के साथ साझा की जिसके आधार पर दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल किया गया जिसके बाद इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया। अधिकारियों ने बताया कि करीब 1,700-1,800 पन्नों का नया आरोपपत्र एक जनवरी को दायर किया गया था और कथित कैश कूरियर असीम दास, पुलिस कांस्टेबल भीम सिंह यादव, एप से जुड़े एक प्रमुख कार्यकारी शुभम सोनी समेत पांच आरोपियों को आरोपी बनाया गया है। एप के मालिक होने का दावा करने वाले शुभम सोनी ने इससे पहले एक वीडियो बयान जारी किया था और ईडी को एक हलफनामा भेजा था, जिसमें दावा किया गया था कि उनके पास राजनेताओं और उनसे जुड़े व्यक्तियों को रिश्वत दिए जाने के बारे में सबूत हैं, ताकि एप को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के अपना अवैध व्यवसाय चलाने की अनुमति दी जा सके। एजेंसी ने रायपुर में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दायर अपने पहले आरोपपत्र में चंद्राकर और उप्पल के साथ कुछ अन्य को भी नामजद किया था।

ईडी ने पहले आरोपपत्र में आरोप लगाया कि चंद्राकर की शादी फरवरी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा में हुई थी और इस कार्यक्रम के लिए करीब 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए गए थे जिसमें उनके रिश्तेदारों को भारत से यूएई लाने के लिए निजी विमानों को किराए पर लिया गया था और मशहूर हस्तियों को प्रस्तुति देने के लिए भुगतान किया गया था। एजेंसी ने पहले कहा था कि एप के जरिए कमाए गए कथित अवैध धन को राज्य में राजनेताओं और नौकरशाहों को रिश्वत के रूप में साझा किया गया था, जबकि एजेंसी ने भुगतान के तरीके और ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच के साथ उनके संबंधों पर पूछताछ के लिए कई हस्तियों और बॉलीवुड अभिनेताओं को भी तलब किया है।

क्या है मामला

ईडी के अनुसार, इस मामले में अपराध की अनुमानित आय लगभग 6,000 करोड़ रुपये है। एजेंसी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले नवंबर में दावा किया था कि फॉरेंसिक विश्लेषण और असीम दास की ओर से दिए गए बयान में चौंकाने वाले आरोप लगाए गए हैं। इसके अनुसार महादेव सट्टेबाजी एप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को अब तक लगभग 508 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। बघेल ने इन आरोपों को उनकी छवि खराब करने का प्रयास बताया था, जबकि कांग्रेस ने अपने तत्कालीन सीएम के खिलाफ इसे केंद्र की प्रतिशोध की राजनीति कहा था।

दास ने बाद में रायपुर में विशेष अदालत के समक्ष कहा था कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है और उन्होंने कभी भी राजनेताओं को नकदी नहीं पहुंचाई। दोनों प्रमोटर छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के रहने वाले हैं और महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग एप्लिकेशन एक अंब्रेला सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट्स को सक्षम करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करता है।

स्थायी व संविदा कर्मियों में मातृत्व अवकाश को लेकर भेदभाव स्वीकार्य नहीं, हाईकोर्ट ने यह कहा

नई दिल्ली ।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि महिला के प्रसव और मातृत्व अवकाश के अधिकार के सवाल पर नियमित और संविदा कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। 16 अगस्त, 2011 से तीन साल की अवधि के लिए आरबीआई में एक कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में अनुबंध के आधार पर नियुक्त की गई याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने 180 दिनों के लिए वेतन के साथ मातृत्व अवकाश की अनुमति देने में शीर्ष बैंक की विफलता पर सवाल उठाया था। न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी ने पारित अपने फैसले में कहा कि महिला के बच्चे के जन्म और मातृत्व अवकाश के अधिकार के सवाल पर, बैंक के नियमित और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने लीड बैंक को निर्देश दिया कि वह उसे उस अवधि के लिए वेतन के साथ छुट्टी के रूप में मुआवजा दे, जिसके लिए उसे इनकार कर दिया गया था। यह देखते हुए कि आरबीआई आमतौर पर अपने कर्मचारियों को अपने मास्टर सर्कुलर के अनुसार मातृत्व लाभ प्रदान करता है, न्यायाधीश ने कहा, याचिकाकर्ता को इस तरह के लाभों का विस्तार न करना, मेरे विचार में, भेदभावपूर्ण कार्य है क्योंकि इसका उद्देश्य एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाना है जिसकी अनुमति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को मातृत्व अवकाश देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण कृत्य है और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत एक अपराध है। न्यायमूर्ति बसु चौधरी ने कहा कि यदि आरबीआई को याचिकाकर्ता को मातृत्व लाभ के मूल अधिकार से वंचित करने की अनुमति दी जाती है और मुआवजे के बिना केवल छुट्टी दी जाती है, तो यह एक कर्मचारी को उसकी गर्भावस्था के दौरान काम करने के लिए मजबूर करने के समान होगा, इससे अंततः उसे और उसके भ्रूण दोनों को खतरा हो सकता है। अदालत ने कहा, अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो सामाजिक न्याय का उद्देश्य भटक जाएगा।

भारत में 'अमीरों' की संख्या 2023 में छह प्रतिशत बढ़कर 13,263 हुई, नाइट फ्रैंक इंडिया का दावा

नई दिल्ली ।

भारत में अत्यधिक अमीर व्यक्तियों की संख्या बीते साल यानी 2023 में सालाना आधार पर छह प्रतिशत बढ़कर 13,263 हो गई है। नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में बढ़ती समृद्धि के कारण अति-उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तियों (यूएचएनडब्ल्यूआई) की संख्या 2028 तक बढ़कर करीब 20,000 हो जाएगी। यूएचएनडब्ल्यूआई को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी कुल संपत्ति तीन करोड़ डॉलर या उससे अधिक है।

एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया ने 'द वेल्थ रिपोर्ट-2024' जारी करते हुए कहा कि भारत में यूएचएनडब्ल्यूआई की संख्या 2023 में 6.1 प्रतिशत बढ़कर 13,263 हो गई, जबकि इससे पिछले वर्ष यह 12,495 थी।

भारत में यूएचएनडब्ल्यूआई की संख्या के 2028 तक बढ़कर 19,908 होने की उम्मीद है। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल

ने कहा, ''धन सृजन के बदलाव वाले युग में भारत वैश्विक आर्थिक क्षेत्र में समृद्ध और बढ़ते अवसरों के प्रमाण के रूप में खड़ा है। देश में बेहद अमीरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगले पांच साल में इसमें 50.1 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है।

दुनिया का महंगा शेयर है बर्कशायर हैथवे का, 23 फरवरी 2024 में शेयर की कीमत थी 6,28,930 डॉलर

नई दिल्ली ।

क्या आप दुनिया के सबसे महंगे शेयर के बारे में जानते हैं इसकी कीमत करोड़ों में है। यह गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐपल या सऊदी अरामको का शेयर नहीं है। यह शेयर है दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे का। इस शेयर की 23 फरवरी 2024 को 6,28,930 डॉलर थी।

यह शेयर 3400 डॉलर की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसकी कीमत को अगर भारतीय करेंसी में देखा जाए तो यह 5.21 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। इतने रुपये में दिल्ली में फॉर्च्यूनर के कम-से-कम 8 टॉप मॉडल आ जाएंगे। इतने में एक अच्छे एरिया में बंगला मिल जाएगा। इस शेयर को खरीदने से पहले करोड़पति भी 10 बार सोचते हैं यह कीमत बर्कशायर हैथवे के क्लास ए शेयरों की है।

कंपनी ने 1996 में एक बार फिर शेयर जारी किए थे जिन्हें क्लास बी शेयर कहा जाता है। इनकी कीमत 417 डॉलर से कुछ अधिक है। भारतीय करेंसी में यह 34,561 रुपये बनता है। बर्कशायर हाथवे वैसे तो क्लास ए वाले शेयरों से खुश था लेकिन बदलते समय और लोगों की मांग को देखते हुए कंपनी के सीईओ और बोर्ड ने 1996 में 517,500 क्लास बी शेयर जारी किए। इन शेयरों की कीमत ओरिजनल शेयर की कीमत का 1/30वां हिस्सा रखी गई। इसके बाद 2010 में एक और बदलाव किया गया और निवेशकों को यह विकल्प दिया गया कि अगर कोई चाहे तो वह क्लास ए वाले शेयर के बदले क्लास बी के 1500 शेयर ले सकता है। हालांकि, क्लास बी शेयर रखने वालों के वोटिंग राइट्स भी कम हो जाते हैं।

बर्कशायर हाथवे के अलावा अन्य महंगे शेयरों की सूची में लींड एंड स्प्रींगली एजी, नेक्सट पीएलसी, सीबोर्ड कार्प और एनवीआर इंक हैं। लींड एंड स्प्रींगली एजीके एक शेयर की कीमत 10930 स्विस फ्रैंक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 स्विस फ्रैंक में 94 रुपये होते हैं। नेक्सट पीएलसी का एक शेयर 8444 जीबीएक्स है। एनवीआर इंक का एक शेयर 7584 डॉलर और सीबोर्ड कार्प का एक शेयर 3371 डॉलर का है। भारत में अगर सबसे महंगे शेयर की बात की जाए तो सबसे दिमाग में पहला नाम एमआरएफ आता है। इसकी कीमत फिलहाल 1.50 लाख रुपये से अधिक है।

एक अप्रैल से बदलेगा नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस खाते का आधार

नई दिल्ली ।

नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है। एनपीएस लेनदेन के दौरान फुलप्रूफ सुरक्षा रहे, इसके लिए कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के मुताबिक, पहली अप्रैल से एनपीएस अकाउंट के लिए आधार वेरीफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। पीएफआरडीए ने यह निर्णय, अभिदाताओं और हितधारकों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया है। पीएफआरडीए के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकारों एवं उनके सहयुक्त निकायों के अंतर्गत नोडल कार्यालय, वर्तमान में एनपीएस लेनदेन के लिए केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण सीआरए की वेबसाइट का उपयोग करने के लिए पासवर्ड लॉग-इन का उपयोग करते हैं। सीआरए प्रणाली का उपयोग करने में सुरक्षा उपायों को उन्नत करने और अभिदाताओं व हितधारकों के हितों

का संरक्षण करने के मकसद से, सीआरए प्रणाली में लॉगिन के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। आधार आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण को विद्यमान उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड आधारित प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि सीआरए प्रणाली को टू-फैक्टर प्रमाणीकरण के माध्यम से सुलभ बनाया जा सके। सीआरए सिस्टम में अब टू-फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के बाद ही लॉग-इन होगा। पीएफआरडीए द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि आधार आधारित लॉग-इन प्रमाणीकरण के एकीकरण की प्रक्रिया समग्र प्रमाणीकरण और लॉग-इन संरचना को सशक्त करने के लिए एक सक्रिय कदम है। यह पहल सरकारी कार्यालयों और स्वायत्त निकायों द्वारा की जाने वाली सभी एनपीएस गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के मकसद से डिजाइन की गई है। इन उन्नत सुविधाओं के साथ लॉग-इन संरचना की नई प्रणाली का विकास वर्तमान में सीआरए द्वारा जारी है। नई लॉग-इन प्रक्रिया, एक अप्रैल 2024 से लागू होगी। सभी सीआरए द्वारा सरकारी नोडल कार्यालयों को प्रक्रिया प्रवाह प्रोसेस फ्लो के साथ साथ एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी प्रदान की जाएगी। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर नोडल अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि उन्हें इन बदलावों के बारे में जागरूक किया जा सके। इसके माध्यम से बदलाव की यह प्रक्रिया निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जा सके। सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत सभी कार्यालयों और स्वायत्त निकायों को सलाह दी जाती है कि वे इस पर ध्यान दें। पीएफआरडीए द्वारा अपने सर्कुलर में कहा गया है कि एनपीएस से संबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन के लिए सीआरए प्रणाली में आधार आधारित लॉग-इन और प्रमाणीकरण की अतिरिक्त सुविधा को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक ढांचा स्थापित करें।

पैट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव

नई दिल्ली । अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेज की कीमतों के गिरावट के साथ ही घरेलू बाजार में भी पैट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव आया है। सुबह ब्रेंट क्रूड 83.33 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। वहीं घरेलू बाजार में भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव किया है। इससे असम, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड सहित कुछ राज्यों में पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है जबकि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा , पंजाब और आंध्र प्रदेश में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। वहीं नोएडा में पेट्रोल 96.64 रुपये और डीजल 89.82 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। इसके अलावा गाजियाबाद में 96.58 रुपये और डीजल 89.75 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। लखनऊ में पेट्रोल 96.47 रुपये और डीजल 89.66 रुपये प्रति लीटर पर बना हुआ है जबकि बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 107.24 रुपये और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। चारों महानगरों की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 90.08 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 102.74 रुपये और डीजल 94.33 रुपये प्रति लीटर प्रति लीटर है।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल- 462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01,-03, फैक्स नं.- 0755-2553914 e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) रजिस्टर्ड नं.म.प्र./296/भोपाल/2012-2014 आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/296/2015-2017